

①

स्पीड पोस्ट

बजट आवंटन वर्ष 2010-11

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम,  
लखनऊ।

पत्रांक- 491/कार्यक्रम/पेयजल/2010-11, लखनऊ, दिनांक। 8 मई, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्रामीण पेयजल योजना अनुदान संख्या-83(अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक) के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-425/26-ब0प्र0-2010-2 बजट/2010टीसी (ग्रा0वि0अनु0-5) दिनांक 12-5-2010 (छाया प्रति संलग्न)का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्रामीण पेयजल योजना (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक) के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्य हेतु रू0 22,50,00,000/- (रूपया बाईस करोड़ पचास लाख मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखे जाने एवं कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि में से ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्य हेतु मात्राकृत 90 प्रतिशत धनराशि रू0 20,25,00,000/- (रूपया बीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र)आप को इस आशय से आवांठित की जा रही है कि इसे उक्त शासनादेश के संलग्नक में अंकित फॉट के अनुसार अबिलम्ब जनपदोंको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि स्वीकृत धनराशि का व्यय ग्रीष्म ऋतु में ही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किया जा सके। धनराशि का व्यय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

- 1- हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन असेवित/अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित एवं सुरक्षित स्रोत विहीन क्षेत्रों (एन0सी0)/पी0सी0/एन0एस0एस0)में किया जायेगा।
- 2- धनराशि का व्यय आवश्यकता का आकलन करते हुए एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ही किया जायेगा।
- 3- उक्त आवंटन का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2215--जलपूर्ति तथासफाई-आयोजनागत-01-जलापूर्ति-789अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-ग्रामीण पेयजल योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे आला जायेगा।
- 4- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-181 पर अंकित कर ली गयी है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव कुमार)

आयुक्त,

ग्राम्य विकास, उ0प्र0।


2

—2

पत्रांक- 491 / कार्यक्रम/पेयजल/10, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- वित्त नियंत्रक/निदेशक लेखा, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट, एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० लखनऊ।
- 8- महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजनल जल संस्थान, झांसी।
- 9- महाप्रबन्धक, जल संस्थान चित्रकूट घाम मण्डल बांदा।
- 10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 11- नियोजन अनुभाग-4/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 12- विशेष सचिव, उ०प्र० शासन बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण को शासनादेश सं०-425/  
26-ब०प्र०-2010-2 बजट/2010टीसी (ग्रा०वि०अनु०-5), दिनांक 12-5-2010 के क्रम में।

  
(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त(लेखा),  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

संख्या-425 / 26--ब0प्र0-2010-2 बजट / 2010टी0सी0 (ग्रा0वि0अनु0-5)

प्रेषक,

भवनाथ,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश।

श्री. लक्ष्मी देवी  
13/5

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ

लखनऊ: दिनांक 12 मई, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्रामीण पेयजल योजना अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक) के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में भुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्य हेतु श्री राज्यपाल महोदय रु० 22,50,00,000/- (रुपये बाइस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त स्वीकृत धनराशि संलग्नक में अंकित फॉट के अनुसार 90 प्रतिशत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्य हेतु रु० 20,25,00,000/- (रुपये बीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) तथा 10 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण कार्य हेतु रु० 2,25,00,000/- (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) उपभोग / व्यय किये जाने की भी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि में से निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम, महाप्रबन्धक जल संस्थान झाँसी मण्डल झाँसी तथा महाप्रबन्धक चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम संलग्नक के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों को अविलम्ब उपलब्ध करायेगा ताकि स्वीकृत धनराशि का व्यय ग्रीष्म ऋतु में ही पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु किया जा सके।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ-3 में अंकित जनपदवार फॉट के अनुसार आवश्यकता का आकलन करते हुए अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ही व्यय की जायेगी।
4. हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार असेवित / अनाच्छादित / आंशिक आनाच्छादित एवं सुरक्षित स्रोत विहीन क्षेत्रों (एन0सी0 / पीसी / एन0एस0एस0) में किया जायेगा।
5. ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रखरखाव हेतु मात्राकृत धनराशि का व्यय ऐसी योजनाओं पर कदापि न किया जाय जिनके अनुरक्षण का दायित्व पंचायतों का है।

2- उक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 225--जलापूर्ति तथा सफाई-आयोजनागत-01-जलापूर्ति -789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03 ग्रामीण पेयजल योजना-20-सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)  
विशेष सचिव।

संख्या: 425 (1)/26-ब0प्र0-2010-2 बजट/09, तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0।
- (2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- (6) महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झॉसी मण्डल, झॉसी / चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- (8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
- (9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3 / वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2।
- (10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)  
अनु सचिव।

(5)

शासनादेश संख्या- ५२९/२६ बजट २०१०-२०११ बजट/२०१०  
टीसी (ग्राम्य विकास अनुभाग-५) दिनांक १२मई, २०१० का  
संलग्नक

क्र.सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु० लाख में)
1	2	3
1	सहारनपुर	20.27
2	गुजापफरनगर	0.00
3	बिजनौर	40.21
4	भुसावादा	24.33
5	रामपुर	23.14
6	ज्योतिबाफूले नगर	11.83
7	मेरठ	28.54
8	बागपत	7.36
9	गाजियाबाद	20.71
10	गौतमबुद्ध नगर	13.18
11	बुलन्दशहर	43.92
12	अलीगढ़	24.33
13	महामायानगर (हाथरस)	25.90
14	एटा	26.49
15	कौशीराम नगर	15.48
16	मथुरा	30.04
17	आगरा	98.93
18	फिरोजाबाद	45.19
19	मैनपुरी	12.16
20	बदायूँ	35.21
21	बरेली	46.63
22	पीलीभीत	19.52
23	शाहजहाँपुर	9.58
24	खीरी	53.08
25	सीतापुर	42.65
26	हरदोई	42.01
27	उन्नाव	41.73
28	लखनऊ	23.52
29	रायबरेली	26.52
30	फर्रुखाबाद	9.60
31	कन्नौज	35.19
32	इटावा	14.19
33	औरैया	19.79
34	कानपुर देहात	43.95
35	कानपुर नगर	44.02
36	जालौन	55.37
37	झाँसी	7.41

6

क.सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत धनरशि (रु० लाख में)
38	ललितपुर	27.21
39	हमीरपुर	10.04
40	महोबा	21.26
41	बौदा	20.96
42	चित्रकूट	20.04
43	बाराबंकी	10.04
44	फैजाबाद	24.33
45	अम्बेडकर नगर	25.14
46	सुल्तानपुर	55.27
47	बहराइच	11.48
48	श्रावस्ती	12.16
49	बलरामपुर	23.52
50	गोंडा	51.18
51	सिद्धार्थनगर	18.72
52	बस्ती	19.14
53	संत कबीर नगर	19.06
54	महाराजगंज	15.29
55	गोरखपुर	36.49
56	कुशीनगर	12.16
57	देवरिया	24.10
58	आजमगढ़	26.51
59	मऊ	22.78
60	बलिया	27.26
61	फतेहपुर	45.41
62	प्रतापगढ़	16.31
63	कौशाम्बी	17.94
64	इलाहाबाद	64.87
65	जौनपुर	41.36
66	गाजीपुर	60.82
67	चन्दौली	12.16
68	वाराणसी	24.16
69	संत रविदास नगर	20.27
70	मिर्जापुर	48.85
71	सोनभद्र	56.73
	योग	2025.00
	अनुसूक्षण कार्य हेतु	225.00
	महायोग	2250.00

(रुपये बाइस करोड़ पचास लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

- (1) प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ।
- (2) महाप्रबन्धक,  
झॉंसी डिवीजन, जल संस्थान, झॉंसी।
- (3) महाप्रबन्धक,  
चित्रकूट धाम मण्डल, जल संस्थान, बाँदा।

पत्रांक: 492/कार्य0/पेयजल/अनुरक्षण/2010-11

दिनांक 18 मई, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्रामीण पेयजल योजना अनुदान संख्या-83(अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक) के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0-425/26-ब0प्र0-2010-2 बजट/2010टीसी (ग्रा0वि0अनु0-5), दिनांक 12-5-2010 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2010-11 में ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु रू0 22,50,00,000/- (रूपया बाईस करोड़ पचास लाख मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखे जाने एवं कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि में से ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु मात्राकृत धनराशि रू0 2,25,00,000/- (रूपया दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) निम्न विवरणानुसार आवंटित की जाती है:-

(धनराशि रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	रकम (रूपये में)
1	उत्तर प्रदेश जल निगम	रू0 1,46,25,000/-
2	जल संस्थान झॉंसी मण्डल, झॉंसी	रू0 39,37,500/-
3	जल संस्थान चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा	रू0 39,37,500/-
योग:-		रू0 2,25,00,000/-

- 1- उक्त धनराशि का व्यय ऐसी योजनाओं पर कदापि न किया जाय जिनके अनुरक्षण का दायित्व पंचायतों का है।
- 2- धनराशि के व्यय करते समय योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 3- उक्त आवंटन का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-आयोजनागत-01-जलापूर्ति-789अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-ग्रामीण पेयजल योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 4- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-181 पर कर ली गई है।  
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

मवदीय,  
(संजीव कुमार)  
आयुक्त,  
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक: 492/कार्य0/पेयजल/2010-11 दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- मण्डलायुक्त, लखनऊ, झॉंसी, एवं चित्रकूट धाम मण्डल बादा।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, झॉंसी एवं बादा।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 6- नियोजन अनुभाग-4/ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
- 8- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण को शासनादेश संख्या-425/26-ब0प्र0-2010-2बजट /2010टीसी (ग्रा0वि0अनु0-5) दिनांक 12.05.2010 के संदर्भ में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त, (लेखा)  
ग्राम्य विकास/उ0प्र0

ग्रामीण पेयजल योजना अ. सं. दिनांक ०३/०३/१०

स्वीकृत प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि में से रू० ६८,७५,०००/- (रुपया अड़सठ लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) तथा रू० ६,८७,५००/- (रुपया छः लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु मात्राकृत की गयी है। उक्तानुसार शासन द्वारा

स्वीकृत रू० ६८,७५,०००/- (रुपया अड़सठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) आपको इस आशय से आवंटित की जा रही है कि इसे उक्त शासनादेश के संलग्नक में अंकित फांट के अनुसार अविलम्ब जनपदों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि स्वीकृत धनराशि का व्यय ग्रीष्म ऋतु में ही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किया जा सके। धनराशि का व्यय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

- 1- हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन असेवित/अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित एवं सुरक्षित स्रोत विहीन क्षेत्रों (एन०सी०/पी०सी०/एन०एस०एस०) में किया जायेगा।
- 2- धनराशि का व्यय आवश्यकता का आकलन करते हुए एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में ही किया जायेगा।
- 3- उक्त आवंटन का चालू वित्तीय वर्ष २०१०-११ के अनुदान संख्या-८१ के लेखाशीर्षक २२१५-जलपूर्ति तथा सफाई-आयोजनागत-०१-जलपूर्ति-७९६ जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-०३-जनजातियों के लिए जलापूर्ति कार्यक्रम-२०-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 4- ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं रख रखाव हेतु मात्रा कृत धनराशि का व्यय ऐसी योजनाओं पर कदापि न किया जाये जिनके अनुरक्षण का दायित्व पंचायतों का है।
- 5- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-१८१ पर कर ली गयी है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
 २६/३/१०  
 (संजीव कुमार)  
 आयुक्त,  
 ग्राम्य विकास, उ०प्र०।